<u>न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला</u> <u>भिण्ड (म०प्र०)</u>

आपराधिक प्रक0क्र0-1286 / 11

संस्थित दिनाँक-15.11.11

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला—भिण्ड (म०प्र०) विरुद्ध

.....अभियोगी

सोनू पुत्र रामरतन किरार उम्र 32 साल निवासी ग्राम रिठौराकलां थाना रिठौरा जिला मुरैना म0प्र0

.....अभियुक्त

_<u>-ः निर्णय ::-</u> {आज दिनांक 22.05.18 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25—(1—बी)(ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10.08.11 को 21:00 बजे एटलस तिराहा करबा मालनपुर पर अपने आधिपत्य में एक हाथ का बना देशी कट्टा 315 बोर का व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर का अवैध रूप से अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 10.08.11 को थाना मालनपुर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद मय हमराह फोर्स प्र0आर0 कोकसिंह, आरक्षक मनीष पचौरी, चालक केशव व सैनिक आलोक के साथ करबा मालनपुर भ्रमण हेतु रवाना हुए। दौरान गश्त हरीराम की कुईया पर मुखबिर से सूचना मिली कि रेशम पोलीमर्स फैक्ट्री से चोरी की गयी मोटर लेकर तीन लड़के रिटौरा तरफ से मालनपुर आ रहे हैं। सूचना हमराह फोर्स को अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान पर एटलस तिराहे पर पहुंचे तभी रिटौरा तरफ से तीन लड़के मोटरसाईकिल से आते दिखे, जो पुलिस की गाड़ी देखकर मोटरसाईकिल को रोककर भागने को हुए, जिन्हें फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। नाम पता पूछे जाने पर उनके नाम सौनू किरार, सुरेश कुशवाह एवं भारत कुशवाह निवासी रिटौराकलां, मुरैना के होना बताए। अप०क० 131/11 में चोरी की गयी पानी की मोटर अभियुक्त भारत से तथा मोटरसाईकिल को अभियुक्त सुरेश से जब्तकर उनके जब्ती पत्रक व अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए। अभियुक्त सोनू की तलाशी लेने पर कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का लोडेड कट्टा रखे हुए मिला जिसका लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त से आग्नेय आयुध जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया गया, उसे गिर० कर

गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाने पर वापस आकर अपराध क्रमांक 133/11 पर पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लिए गए, जब्तशुदा आग्नेय आयुध की जांच कराई गयी, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.08.11 को 21:00 बजे एटलस तिराहा कस्बा मालनपुर पर अपने आधिपत्य में एक हाथ का बना देशी कट्टा 315 बोर का व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर का अवैध रूप से अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया। ?

<u>—ः: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रघुवीर अ०सा० 1, राजिकशोरिसंह अ०सा० 2, मनीष पचौरी अ०सा० 3, कोकिसंह अ०सा० 4, राकेश प्रसाद अ०सा० 5, होतमिसंह अ०सा० 6, योगेन्द्रसिंह अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 6. प्रकरण में जब्दीकर्ता सहायक उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 10.08.11 को थाना मालनपुर में एएसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को हमराह फोर्स के साथ करबा गश्त हेतु गए थे। दौरान गश्त हरीराम की कुईया पर मुखबिर से सूचना मिली कि रेशम पोलीमर्स फैक्ट्री से चोरी की गयी पानी की मोटर लेकर तीन लड़के एक मोटरसाईकिल से रिठौरा तरफ से एटलस तिराहे तरफ आ रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु एटलस तिराहे पर आए तो रिटौरा तरफ से एक मोटरसाईकिल पर तीन लड़के आते दिखे, जिसमें बीच वाला लड़का पानी की मोटर रखे दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने को हुए तो उन्हें घेरकर पकड़ा, नाम पूछने पर उन्होंने नाम सुरेश कुशवाह, भरत कुशवाह तथा सोनू किरार निवासी रिठौरा के होना बताए। पानी की मोटर फैक्ट्री से चोरी करने का कथन किया। अभियुक्तगण को अप०क0 131/11 अंतर्गत धारा 457, 380 के अधीन गिरफ्तार किया, पानी की मोटर व मोटरसाईकिल को जब्त कर अभियुक्तगण की तलाशी लेने पर अभियुक्त सोनू किरार की कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का लोड़ेड कट्टा मिला जिसे खोलकर चैक किया तो उसमें एक 315 बोर का कारतूस लगा था। कट्टा, कारतूस का लायसेंस पूछे जाने पर अभियुक्त ने लायसेंस न होना बताया। तत्पश्चात् अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पीठ 1 व अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरठ पत्रक प्र0पीठ 2 बनाए, उक्त दस्तावेजों पर अपने सी सी भी गग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

उसके बाद थाने पर वापसी लेख किए जाने, तत्पश्चात् अप०क० 133/11 पर प्र०पी० 5 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किए जाने का कथन करते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा व कारतूस आर्टीकल ए1 व ए2 अभियुक्त से जब्त होने के संबंध में कथन करते हैं।

- 7. प्रकरण में प्र0पी0 1 व 2 के साक्षी रघुवीरसिंह एवं आरक्षक मनीष पचौरी हैं। रघुवीरसिंह अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में न तो अभियुक्त को पहचानते हैं और न हीं उनके समक्ष अभियुक्त के पास से कोई भी कट्टा व कारतूस जब्त होने का समर्थन करते हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर दिया गया। सूचक प्रश्नों में भी साक्षी अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं करता है, मात्र प्र0पी0 1 व 2 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताता है। आरक्षक मनीष पचौरी अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में राकेश प्रसाद अ0सा0 5 के कथनों का समर्थन करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में एटलस तिराहे पर सहायक उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद अ0सा0 5 द्वारा मुखबिर की सूचना से अवगत कराए जाने एवं रिठौरा की ओर से मोटरसाईकिल पर तीन लडके आने और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने का कथन करते हैं। यह भी कथन करते हैं कि अभियुक्तगण को उन्होंने पकडा और उनसे नाम पूछे। अभियुक्तगण से चोरी की मोटर के संबंध में उन्हें गिर0 किया, सुरेश कुशवाह से मोटरसाईकिल जब्त की। अभियुक्त सोनू किरार से 315 बोर का कट्टा जब्त किया, जिसका लायसेंस अभियुक्त सोनू द्वारा न होना व्यक्त किया। साक्षी जब्दी पत्रक प्र0पी0 1 बनाए जाने जिस पर उसके ब से ब भाग पर तथा गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने, उस पर भी अपने ब से ब भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं।
- 8. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, इस कारण से अभियोजन का मामला संदेह से परे सिद्ध नहीं हैं। साक्ष्य विधि में ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि पुलिस साक्षी के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जाए, बल्कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी साधारण साक्षियों की भांति ही विश्लेषित करने की आवश्यकता होती है। प्रकरण में जब्तीकर्ता राकेश प्रसाद अवसाठ 5 के कथन अनुसार वे उक्त दिनांक को कस्बा गश्त हेतु थाना मालनपुर से रवाना हुए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि शासकीय वाहन से 19:30 अर्थात शाम 7:30 बजे रवाना हुए, यही कथन मनीष पचौरी अवसाठ 4 का है, किन्तु प्रवआरव कोकिसिंह जिसके संबंध में उक्त साक्षियों ने उसके हमराह फोर्स में रवाना होने के संबंध में कथन किया है, वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में थाने से 8:45 बजे रवाना होने का विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। ऐसे में थाने से रवानगी के संबंध में साक्षियों के कथन में विरोधाभास मौजूद है। इस संबंध में प्रकरण में राकेश प्रसाद अवसाठ 5 यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि कोई रवानगी का रोजनामचा प्रस्तुत नहीं किया है, बिल्क स्वतः कथन करते हैं कि वापसी के रोजनामचा की नकल प्रकरण में लगाई है। अभिकथित वापसी का रोजनामचा स्वयं लोक दस्तावेज

की श्रेणी में नहीं आता है और अभिकथित वापसी के रोजनामचा की छायाप्रति संलग्न की गयी है, उसे भी किसी सक्षम अधिकारी ने प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में अभिकथित घटना स्थल पर रवानगी तथा थाने पर वापसी का तथ्य अभिलेख पर प्रमाणित नहीं हैं। प्रकरण में प्रपी0 5 की प्राथमिकी में भी कोई सुसंगत रोजनामचा का क्रमांक अंकित नहीं किया गया है, ऐसे में प्रथमदृष्ट्या साक्षीगण के कथनों पर संदेह का आधार उत्पन्न हो रहा है।

- 9. राकेश प्रसाद अ०सा० 5 के अनुसार जब वे हरीराम की कुईया पर मौजूद थे तब उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेशम पोलीमर्स फैक्ट्री की चोरी गयी पानी की मोटर को लेकर तीन लड़के रिठौरा से एटलस तिराहा तरफ आ रहे हैं। तत्पश्चात् एटलस तिराहे पर उन्हें तीन लड़के मोटरसाईकल से आते दिखे, जिन्हें उनके द्वारा घेरकर पकड़ा। अप०क० 131/11 अंतर्गत धारा 457, 380 में गिर० कर पानी की मोटर व मोटरसाईकिल को जब्त करने का कथन करते हैं। यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्र0पी० 2 के गिर० पत्रक के पूर्व साक्षी के कथन के अनुसार उपरोक्त अप०क० 131/11 में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तो अभियुक्त से गिर० पत्रक के कॉलम नं० 8 में उन संपत्ति का उल्लेख होना चाहिए था जो कि अभिकथित अभियुक्त से जब्त की गयी, अर्थात अभियुक्त सोनू के गिर० पत्रक में अभिकथित कट्टा व कारतूस के उसके पास पाए जाने का उल्लेख होना चाहिए था किन्तु कथित कट्टा व कारतूस के पास से पाया गया, इस संबंध में उपरोक्त अप०क० 131/11 का कोई भी सुसंगत गिर० पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 10. प्रकरण में जब्तीकर्ता राकेश प्रसाद अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि उन्होंने अभियुक्त से जब्हाशुदा कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 बनाया था। कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि अभिकथित जब्ती पंचनामा के कॉलम नं0 13 में कोई सील नमूना अंकित नहीं हैं। प्र०पी० 1 के जब्ती पत्रक में कथित जब्हाशुदा कट्टा व कारतूस को मोके पर सीलबंद किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। यदि उक्त कट्टा व कारतूस को मोके पर सीलबंद किया गया था तो उस पर कोई नमूना सील अंकित क्यों नहीं की गयी, इस संबंध में तथ्य संदेह उत्पन्न करते हैं। प्रकरण में आरमोरर राजिकशोर सिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्हें दिनांक 18.08.11 को संबंधित अप० कमांक में जब्हाशुदा कट्टा व कारतूस सीलबंद कपडे में जांच हेतु प्राप्त हुआ था। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यदि कट्टा व कारतूस पर सील नहीं लगाई गयी थी तो फिर दिनांक 18.08.11 को आरमोरर के पास जो कट्टा व कारतूस फर सील नहीं लगाई गयी थी तो फिर दिनांक 18.08.11 को आरमोरर के पास जो कट्टा व कारतूस जांच हेतु प्रस्तुत हुआ वह कौनसा था। इस प्रकार से प्रकरण में आग्नेय आयुध की अनन्यता को प्रश्न चिन्ह अंकित हो जाता है।

- प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि मनीष पचौरी अ०सा० 3 जो अपने अभिसाक्ष्य में 11. अभियुक्त को भागते हुए पकडने का कथन करते हैं। वे अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 2 में बताते हैं कि कथित मोटरसाईकिल बजाज कंपनी की थी, जबकि राकेश प्रसाद अ०सा० 5 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 के अंत में कथन करते हैं कि मोटरसाईकिल टी०व्ही०एस० स्टार लाल कलर की थी एवं प्र0पी0 5 की प्राथमिकी में कथित मोटरसाईकिल टी०व्ही०एस० कंपनी की होना लेख है। यह तथ्य साक्षियों के कथन में विरोधाभास दर्शाता है। राकेश प्रसाद अ०सा० 5 एवं मनीष पचौरी अ०सा० 3 के कथन के अनुसार वे थाने से 7:30 बजे निकले थे, इसके बाद एस0आर0एफ0 तिराहा, हरीराम की कुईया, सूर्या फैक्ट्री, हनुमान चौराहा गश्त के लिए गए थे। साक्षी मनीष अ०सा० 3 कथन करता है कि गश्त के दौरान मोटरसाईकिलें चैक की थी, और करीब 2 घण्टे तक उन्होंने मोटरसाईकिलें चैक की थी। राकेश प्रसाद अ०सा० 5 कथन करते हैं कि सिंघवारी, सूर्या फैक्ट्री, हरीराम की कुईया गश्त करने में करीब आधा घण्टे का समय लगा था, इसके बाद एटलस तिराहे पर करीब 8 बजे पहुंच गए थे। इसके विपरीत उनका हमराह साक्षी प्र0आर0 कोकसिंह अ0सा0 4 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करता है कि थाने से 8:45 बजे निकले थे और दस मिनिट में एटलस तिराहे पर पहुंच गए थे। इस प्रकार से मनीष अ०सा० 3 दो घण्टे गश्त एवं मोटरसाईकिलें चैक करने, राकेश प्रसाद अ०सा० 5 करीब आधा घण्टे गश्त कर घटनास्थल पर पहुंचने तथा कोकसिंह अ०सा० 4 सर्वप्रथम तो थाने से रवाना होने के समय के संबंध में भिन्न कथन करते हुए मात्र 10 मिनिट में जब्ती स्थल पर पहुंच जाने का विरोधाभासी कथन कर रहे हैं।
- 12. साक्षी राजिकशोर अ०सा० 2 एवं योगेन्द्रसिंह अ०सा० 7 के कथन औपचारिक प्रकृति के हैं। राजिकशोर अ०सा० 2 कथित जांच हेतु प्राप्त कट्टा व कारतूस के चालू हालत में होने एवं योगेन्द्र सिंह अ०सा० 7 तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्र०पी० 6 के अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदान कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति देने का कथन करते हैं। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में सर्वप्रथम तो किसी स्वतंत्र साक्षी ने कथन नहीं किया, साथ ही जो अभियोजन साक्षी हैं वे परस्पर हितबद्ध होकर भी परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा के माध्यम से पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य उनकी निष्पक्ष कार्यवाही की पुष्टि नहीं करती है। साथ ही अभियुक्त से कथित आग्नेय आयुध जब्त होने के संबंध में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं लोप विद्यमान हैं।
- 13. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त

संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10.08.11 को 21:00 बजे एटलस तिराहा कस्बा मालनपुर पर एक हाथ का बना देशी कट्टा 315 बोर का व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर का अवैध रूप से अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25—(1—बी)(ए) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 14. अभियुक्त अभिरक्षा में हैं, अतः उसके जेल वारंट पर नोट लगाया जावे कि इस प्रकरण में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है, यदि अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलंब रिहा किया जावे।
- 15. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अविध पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को नियमानुसार विनिष्ट करने हेतु प्रेषित किया जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- **16.** अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

